न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-85RAAJodhpur2024-33RTA223 Mularam ors Vs Manaram etc

01. मूलाराम पुत्र श्री मेगाराम
02. अचकी पत्नी तुलछाराम
03. किशनाराम पुत्र तुलछाराम
04. अशोक पुत्र तुलछाराम
05. मगनी पुत्री तुलछाराम
06. माधु पुत्री तुलछाराम
07. सुशीला पुत्र तुलछाराम
08. तारा पुत्री तुलछाराम

अपीलार्थीगण संख्या पांच से आठ नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता अचकी पत्नी तुलछाराम, सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम सियोलनगर, चाडी, तहसील आऊ, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. मानाराम पुत्र लिखमाराम, जाति जाट, निवासी- ग्राम सियोलनगर, तहसील आऊ, जिला फलोदी।

रेस्पो....

2. दुर्गाराम पुत्र मेराजराम
3. राजूराम पुत्र मेराजराम
4. मोटाराम पुत्र मेराजराम
5. श्रवणराम पुत्र मेराजराम
6. भंवरी पत्नी मेराजराम
7. पप्पू पुत्री मेराजराम
8. संतोष पुत्री मेराजराम

सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम सियोलनगर, चाडी, तहसील आऊ, जिला फलोदी।

9. सहायक अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लोहावट, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आऊ, जिला फलोदी।

परफोंमा रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जनवरी 2024 सहायक कलक्टर आऊ राजस्व मूल वाद संख्या 77/2023 मानाराम बनाम दुर्गाराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री पूनाराम विश्नोई,, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन
शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 18 फरवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 77/2023 अनवान मानाराम बनाम दुर्गाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जनवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 05 मार्च 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 740 रकबा 09.06 बीघा, खसरा नं. 1054 रकबा 01.06 बीघा ग्राम सियोल नगर तहसील आऊ के संबंध में धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण वाद संख्या 10/2018 के साथ समेकित करते हुए मामले में दिनांक 24 अप्रैल 2018 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 30 जनवरी 2024 को वादी का वाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एक तरफा पारित किये गये है, जिसमें अपीलार्थीगण को उक्त विभाजन प्रस्ताव बांबत सुनवाई का अवसर दिये बिना कब्जे काश्त के विपरीत प्राप्त हुए विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर बंटवाड़े के वाद में एकतरफा अंतिम डिक्री जारी कर दी जो बहाल रखने काबिल नहीं है। वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 740 एवं 1054 व अन्य भूमियों के संबंध में अपीलार्थीगण व अन्य सहखातेदारों द्वारा उसी अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य वाद संख्या 10/2018 में विचाराधीन था। उक्त वाद में विभाजन प्रस्ताव के इंतजार हेतु पत्रावली दिनांक 10.01.2024 से 23.01.2024 रखी गई थी। तत्तपश्चात उक्त वाद को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2024 को उभय पक्ष की अनुपस्थिति बताकर आदेश 09 नियम 03 सीपीसी के तहत वाद को खारिज कर दिया। कानूनन बंटवाड़े के वाद में विभाजन प्रस्ताव मंगवाने के आदेश जारी होने के उपरांत खारिज नहीं किया जा सकता है। एक ही भूमि के संबंध में विचारण न्यायालय में दो वाद विचाराधीन थे, जिसमें अपीलार्थीगण के वाद को गलत रूप से खारिज कर दिया एवं प्रत्यर्थी संख्या एक के वाद में विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी जो अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में न तो खसरा नंबर अंकित किये है, न ही रकबा अंकित किया है, कौनसा हिस्सा किस खातेदार के बंट में रखा है, ये हवाला ही नहीं दिया गया है। केवल विभाजन प्रस्ताव को निर्णय का भाग मानते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सरसरी तौर पर पारित कर दिया गया। कानूनन बंटवाड़े के वाद की अंतिम डिक्री में विभाजन प्रस्ताव में बताये गये हिस्से अनुसार सभी सहखातेदारों के हिस्से व उनका रकबा निर्णय मे लिखा जाना आवश्यक है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में कानून की पालना किये बिना रकबा व बिना खसरा नंबर अंकित किये खानापूर्ति करते हुए पत्रावली को फैसल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कर दिया जो कानूनन नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम सियोल नगर के खसरा नं. 740 रकबा 09.06 बीघा एवं खसरा नं. 1054 रकबा 01.06 बीघा छोटे रकबे के रूप में दो खसरे स्थित है जो मुख्य सड़क भारतमाला के समीप है। विचारण न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज सभी सहखातेदारों को सड़क के पास आनुपातिक रूप से भूमि न देते हुए वादी को अधिक हिस्सा देते हुए विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53स के वाद में नियम 18 से 21 की पालना किये बिना विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो बहाल रखने योग्य नहीं है। तहसीलदार आऊ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलार्थीगण को कोई नोटिस ही जारी नही किये। मौके एवं कब्जे की बिना जांच किये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया तथा विचारण न्यायालय द्वारा इसी विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री व निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जनवरी 2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित किये जाने के आदेश फरमावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि भूमि खसरा नं. 740 एवं खसरा नं. 1054 का पूर्व में विभाजन हो चुका है तथा राजस्व रेकर्ड में तरमीम हो चुकी है। उक्त खसरे विभाजन की अंतिम डिक्री में शामिल ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के उज्र मानने योग्य ही नहीं है। अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि उनके द्वारा प्रस्तुत वाद को विचाराधीन रखने हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है, इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संबंध मे निवेदन है कि अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर ही दोनो वाद पत्रावलियों को समेकित करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की तथा विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। तहसीलदार आउ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व सभी पक्षकारान् को सूचना बाबत नोटिस जारी किये है जो विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। तहसीलदार आउ द्वारा विभाजन प्रस्ताव में सभी पक्षकारान् को मुख्य सड़क पर आनुपातिक रूप से बराबर हिस्सा दिया है तथा प्रत्येक जोत तक आवागमन हेतु रास्ता का भी प्रावधान किया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा अंतिम डिक्री में शामिल खसरों के संबंध में किसी प्रकार का कोई उज्र नहीं उठाया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही पाये जाने से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स द्वारा भूमि खसरा नं. 740 एवं खसरा नं. 1054 के संबंध में गलत विभाजन होना बताते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किये जाने का अनुतोष है। इस संबंध में उपलब्ध अभिलेख एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट्स द्वारा जिन खसरा नं. 740 एवं 1054 के संबंध अनुतोष चाहा गया है, उक्त खसरान् अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में सम्मिलित ही नहीं है। उक्त खसरान् की भूमि के संबंध में पक्षकारान् की ओर से तहसीलदार आऊ के समक्ष आपसी सहमति का बंटवाड़ा प्रस्तुत कर अपनी सहमति अनुसार विभाजन करवाया जाना पाया जाता है। ऐसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्थिति में उक्त खसरे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में शामिल नहीं होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील औचित्य विहिन पायी जाती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत मामले में अन्य भूमियों के संबंध में तहसीलदार आऊ द्वारा विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया जाना पाया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व पक्षकारान् को नोटिस जारी किये गये है जो विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत रूप से पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं, पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 77/2023 अनवान मानाराम बनाम दुर्गाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जनवरी 2024 विधिसम्मत पाये जाने से यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-85RAAJodhpur2024-33RTA223 Mularam ors Vs Manaram etc

अपीलाण्ट

01. मूलाराम पुत्र श्री मेगाराम
02. अचकी पत्नी तुलछाराम
03. किशनाराम पुत्र तुलछाराम
04. अशोक पुत्र तुलछाराम
05. मगनी पुत्री तुलछाराम
06. माधु पुत्री तुलछाराम
07. सुशीला पुत्र तुलछाराम
08. तारा पुत्री तुलछाराम

अपीलार्थीगण संख्या पांच से आठ नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता अचकी पत्नी तुलछाराम,

सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम सियोलनगर, चाडी, तहसील आऊ, जिला फलोदी।

ब न ा म

रेस्पोडेण्ट

1. मानाराम पुत्र लिखमाराम, जाति जाट, निवासी- ग्राम सियोलनगर, तहसील आऊ, जिला फलोदी।

रेस्पो....

2. दुर्गाराम पुत्र मेराजराम
3. राजूराम पुत्र मेराजराम
4. मोटाराम पुत्र मेराजराम
5. श्रवणराम पुत्र मेराजराम
6. भंवरी पत्नी मेराजराम
7. पप्पू पुत्री मेराजराम
8. संतोष पुत्री मेराजराम

सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम सियोलनगर, चाडी, तहसील आऊ, जिला फलोदी।

9. सहायक अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लोहावट, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आऊ, जिला फलोदी।

परफोंमा रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जनवरी 2024 सहायक कलक्टर आऊ राजस्व मूल वाद संख्या 77/2023 मानाराम बनाम दुर्गाराम इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 18 फरवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई मिनजानिब अपीलाण्ट्स, श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 77/2023 अनवान मानाराम बनाम दुर्गाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जनवरी 2024 विधिसम्मत पाये जाने से यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

दस्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 18 फरवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर